


कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ० सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं संलग्न
चिकित्सालय समूह, जोधपुर ।

कमांक:एफ.1/शैक्षणिक /आमवि/जोध/22/7209

दिनांक:27/1/22

सूचना

1. आपको सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर ने कॉलेज में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की रैगिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
2. यह भी उल्लेखित किया जाता है कि रैगिंग लेना एक कानूनन अपराध है। अगर भविष्य में आपके पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार की रैगिंग/रैगिंग से सम्बन्धित गतिविधियों में लिप्त पाया जाता/जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं एवं आपके पुत्र/पुत्री की होगी।
3. चूंकि आपके पुत्र/पुत्री (प्रवेश वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2020) इस महाविद्यालय में वर्तमान में एम.बी.बी.एस कोर्स में अध्ययनरत है, अतः अपने पुत्र/पुत्री को अच्छी तरह समझा दे कि वे नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं(प्रवेश वर्ष 2021) की किसी भी प्रकार से रैगिंग नहीं ले एवं इस प्रकार की गतिविधियों में भी भाग नहीं ले।
4. कृपया इसे अति आवश्यक समझा जावे।


अतिरिक्त प्रधानाचार्य
Additional Principal
Dr. S. N. Medical College
JODHPUR.